



पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।
वेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पत्रकार/प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट खोने की संज्ञा भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट ह्राक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट कालक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, खोसी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल ही जानी चाहिए। विस्तृत पृष्ठलाभ के बाद ही बुल्कीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SUBMISSION, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOST, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

हिस्सा / OBSERVATION